उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

**Ref. No. UOU/R/**का.परि./45/2026
**Date:** 13 मार्च, 2026

**सेवा में,**

1. प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत, (पूर्व कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल), I-II गामा-2 ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
2. प्रोफेसर योजना रावत, डायरेक्टर रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन लर्निंग, पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़।
3. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नवाबी रोड, हल्द्वानी।
4. डॉ0 अजय कुमार गुप्ता, सीईओ, सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि0, लालकुऑं, नैनीताल।
5. प्रोफेसर दीक्षा कपूर, निदेशक, SOCE, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (नामित प्रतिनिधि कुलपति, इग्नू, नई दिल्ली)।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।
7. प्रोफेसर रेनू प्रकाश, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
10. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सह-प्राध्यापक, वानिकी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
11. डॉ0 नीरजा सिंह, सहायक प्राध्यापक, समाज कार्य, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
12. श्री सूर्य प्रताप सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
13. प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्याल, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

**महोदय/महोदया,**

दिनांक 13 मार्च, 2026 (शुक्रवार) को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की **कार्य परिषद** की **45वीं** बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

भवदीय,

**(खेमराज भट्ट)**
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

**<u>प्रतिलिपि:-</u>**

1. सचिव, माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को माननीय कुलाधिपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. कुलपति जी के वैयक्तिक अधिकारी को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

**(खेमराज भट्ट)**
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

**दिनांक 13 मार्च, 2026 (शुक्रवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रात: 11.00 बजे विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न कार्य परिषद की 45वीं बैठक का कार्यवृत्त।**

**बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रोफेसर नवीन चन्द्र लोहनी,<br>कुलपति,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | अध्यक्ष |
| 2. | श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला,<br>अध्यक्ष,<br>हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 3. | डॉ0 अजय कुमार गुप्ता,<br>सीईओ,<br>सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि0, लालकुऑं, नैनीताल।<br>(वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया) | सदस्य |
| 4. | प्रोफेसर दीक्षा कपूर,<br>SOCE,<br>इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली<br>**(प्रतिनिधि-कुलपति, इग्नू, नई दिल्ली)**<br>(वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया) | सदस्य |
| 5. | प्रोफेसर य़ोजना रावत,<br>डायरेक्टर रिसर्च,<br>यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन लर्निग, पंजाब यूनिवर्सिटी,<br>चण्डीगढ़।<br>(वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया) | सदस्य |
| 6. | प्रोफेसर रेनू प्रकाश,<br>निदेशक,<br>समाज विज्ञान विद्याशाखा,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

7. प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। — सदस्य

8. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। — सदस्य

9. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सह-आचार्य, वानिकी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। — सदस्य

10. डॉ0 नीरजा सिंह, सहायक आचार्य, समाज कार्य, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। — सदस्य

11. श्री खेमराज भट्ट, कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्ववि‍द्यालय, हल्द्वानी। — सदस्य सचिव

12. श्री सूर्य प्रताप सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। — आमंत्रित सदस्य

13. प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। — आमंत्रित सदस्य

बैठक आरम्भ होने से पूर्व सर्वप्रथम सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा अध्यक्ष, कार्य परिषद तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों का कार्य परिषद की 45वीं बैठक में स्वागत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का परिचय देते हुए कार्य परिषद की बैठक में उपस्थित, बाह्य सदस्यों का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया गया।

तद्क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्य श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला तथा आभासीय **(Online)** माध्यम से उपस्थित प्रोफेसर दीक्षा कपूर (प्रतिनिधि, कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय, नई दिल्ली), प्रोफेसर योजना रावत व डॉ0 अजय कुमार गुप्ता का विशेष आभार व्यक्त करते हुए समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की 45वीं बैठक में स्वागत किया गया।

स्वागतोपरान्त सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से समस्त प्रस्तावों पर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:-

**प्रस्ताव संख्या 45.01- कार्य परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 21.11.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 21.11.2025 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-यू0ओ0यू0/आर/कार्य0परि0/44/2025, दिनांक 21.11.2025 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि यदि कार्यवृत्त के किसी बिंदु पर असहमति हो, किसी मद में कोई अंश छूट गया हो, अथवा कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथासमय विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया जाय। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई असहमति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है।

**निर्णय-** ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए पुनरावलोकन के उपरान्त सर्वसम्मति से 44वीं बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 45.02- कार्य परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 21.11.2025 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।**

कार्य परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 21.11.2025 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मलित समस्त प्रस्तावों पर हुई कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया।

**निर्णय:-** ***कार्य परिषद द्वारा कृत कार्यवाही में सम्मिलित समस्त प्रस्तावों का अवलोकन करते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा की गई कृत कार्यवाही पर सहमति व्यक्त कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 45.03- डॉ0 नन्दन कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक, ज्योतिष के अन्यत्र चयन होने पर देय असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार के संबंध में सूचना।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 नन्दन कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक, ज्योतिष का कुमार भास्कर वर्म संस्कृत-पुरातनाध्ययन विश्वविद्यालय, **NAMATI, NALBARI,**



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

**ASSAM** में सह-प्राध्यापक, संस्कृत ज्योतिष के पद पर चयन होने के फलस्वरूप उनके अनुरोध पत्र दिनांक 05.01.2026 के क्रम में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 08.01.2026 से दिनांक 07.01.2027 तक कुल 01 वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अन्यत्र चयन होने की दशा में उनके धारणाधिकार के संबंध में कार्य परिषद की 9वीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के क्रम में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया है।

***निर्णयः-*** ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कुलपति जी के निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 45.04- डॉ0 भूपेन सिंह, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार को देय असाधारण अवकाश के संबंध में।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 भूपेन सिंह, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2025 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया गया कि उनका इग्लैण्ड के ससेक्स विश्वविद्यालय में 2025 के शरदकालीन सत्र हेतु विजिटिंग फैलोशिप कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। संबंधित सत्र में प्रतिभाग करने तथा इग्लैण्ड में रहकर अकादमिक अवसरों को और बेहतर बनाने हेतु डॉ0 सिंह द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2025 से दिनांक 14 सितम्बर, 2026 तक कुल 01 वर्ष का असाधारण अवकाश अनुमन्य किए जाने का अनुरोध किया गया। डॉ0 सिंह के प्रार्थना-पत्र दिनांक 18 अगस्त, 2025 पर माननीय कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में डॉ0 भूपेन सिंह, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार को दिनांक 15 सितम्बर, 2025 से दिनांक 14 सितम्बर, 2026 तक कुल 01 वर्ष का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया गया है। संबंधित प्रकरण को कार्य परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2025 में प्रस्तुत किया गया जिस पर परिषद द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया:-

> **"कार्य परिषद ने दिनांक 30 जुलाई, 2025 को University of Sussex, इग्लैण्ड द्वारा डॉ0 भूपेन सिंह को प्रेषित पत्र का अवलोकन करने के उपरान्त मत व्यक्त किया गया कि, चूंकि University of Sussex, इग्लैण्ड द्वारा डॉ0 सिंह को विजिटिंग फैलोशिप कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु दिनांक 15 सितम्बर, 2025 से दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 तक ही आमंत्रित किया गया है। इस कारण डॉ0 सिंह को 03 माह (दिनांक 15.09.2025 से 15.12.2025 तक) का ही असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यदि University of Sussex से अकादमिक गतिविधियों हेतु डॉ0 भूपेन सिंह को दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के उपरान्त विस्तारीकरण दिया जाता है तो, ऐसी स्थिति में ही डॉ0 सिंह के असाधारण अवकाश की समयावधि विस्तारित की जाय। इस हेतु परिषद द्वारा माननीय कुलपति/अध्यक्ष कार्य परिषद को अधिकृत करते हुए तद्संबंधी सूचना डॉ0 भूपेन सिंह को प्रेषित किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।"**



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

उक्तानुसार कार्य परिषद के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2025 को डॉ0 भूपेन सिंह को पत्र प्रेषित किया गया। प्रतिउत्तर में डॉ0 सिंह द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि University of Sussex, इग्लैण्ड द्वारा उनके फैलोशिप कार्यक्रम की अवधि को दिनांक 15.12.2025 से दिनांक 31.03.2027 तक विस्तारित कर दिया गया है। तद्क्रम में डॉ0 सिंह द्वारा University of Sussex के पत्र दिनांक 12.12.2025 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया है कि उनके असाधारण अवैतनिक अवकाश की समयावधि को दिनांक 31 मार्च, 2027 के एक सप्ताह बाद तक यथा दिनांक 07 अप्रैल, 2027 तक विस्तारित करने का कष्ट करें। तद्क्रम में डॉ0 भूपेन सिंह, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार को दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 से दिनांक 07 अप्रैल, 2027 तक असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किए जाने पर विचार किए जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

***निर्णय:-*** ***कार्य परिषद द्वारा University of Sussex के पत्र दिनांक 12.12.2025 का अवलोकन कर डॉ0 भूपेन सिंह, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार को उनके अनुरोध के क्रम में दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 से दिनांक 07 अप्रैल, 2027 तक असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 45.05- डॉ0 बृजेश कुमार बनकोटी, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, रूड़की को उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप निदेशक पद के लिए आवेदन किए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अन्नतिम प्रमाण-पत्र के संबंध में विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में सहायक क्षेत्रीय निदेशक, पद वेतनमान 56100-177500 (लेवल-10) पर नियुक्त डॉ0 बृजेश कुमार बनकोटी द्वारा दिनांक 09 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत पत्र के माध्यम से उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप निदेशक, पद वेतनमान 67700-208700 (लेवल-11) के लिए आवेदन किए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की परिनियमावली एवं अध्यादेश में विश्वविद्यालय में नियुक्त शिक्षणेत्तर कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में कोई प्राविधान नहीं है। शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु सृजित शिक्षणेत्तर पदों की सेवा नियमावली निर्मित ना होने के कारण राज्य सरकार की सेवा नियमावली अंगीकृत किए जाने हेतु विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 04 अप्रैल, 2025 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर कार्य परिषद द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया है:-

> **"प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई। तद्क्रम में व्यवस्था दी गयी कि शिक्षणेत्तर संवर्ग हेतु जो नियम विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित नहीं हैं तथा कर्मचारियों के कल्याण के लिए आवश्यक है, के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य सरकार की सेवा नियमावली को यथावत अंगीकृत किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।"**



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

तद्क्रम में राज्यान्तर्गत बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के संबंध में वित्त अनुभाग-10, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-287698/XXVII(10)/E-77990/ 2025, दिनांक 1 अप्रैल, 2025 के बिंदु संख्या-2 में प्रतिनियुक्ति की अर्हता एवं बिंदु संख्या- 4 (1) में प्रतिनियुक्ति हेतु सामान्य निर्देश उल्लिखित हैं। विश्वविद्यालय के अधिनियम/अध्यादेश में प्राविधानित व्यवस्थानुसार वर्तमान में कुल 08 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्रों हेतु शासन द्वारा 01, कुल 08 सहायक क्षेत्रीय निदेशक के पद सृजित किए गए हैं, जिनमें वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र में 01, कुल 08 सहायक क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त हैं। क्षेत्रीय केंद्रों से संबंधित समस्त कार्यों का निर्वहन सहायक क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र हेतु 01 सहायक निदेशक नियुक्त होने के कारण संबंधितों के दीर्घकालीन अवकाश/प्रतिनियुक्ति पर जाने की स्थिति में क्षेत्रीय केंद्र के कार्य बाधित होते हैं।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 20 फरवरी, 2026 होने के कारण समय की बाध्यता के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में केवल आवेदन किए जाने हेतु डॉ0 बनकोटी को विश्वविद्यालय कार्य परिषद के निर्णय एवं शासन की सहमति के अधीन अन्नतिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया गया है कि शासन की सहमति एवं कार्य परिषद द्वारा पारित निर्णय अंतिम होगा, जो डॉ0 बनकोटी को मान्य होगा। इस संबंध में शासन की सहमति प्राप्त किए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन,देहरादून को दिनांक 28 फरवरी, 2026 को पत्र प्रेषित किया गया है। तद्क्रम में प्रकरण माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

<u>निर्णय:-</u> ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित पत्र का अवलोकन कर, शासन से अनुमति प्राप्त होने की प्रत्याशा में डॉ0 बृजेश कुमार बनकोटी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही सहायक क्षेत्रीय निदेशक, शोध अधिकारी, सहायक निदेशक, आई0टी0 एवं इस तरह के सभी पदों की सेवा नियमावली निर्मित किए जाने हेतु निम्नानुसार एक तीन सदस्यीय समिति का गठन करते हुए समिति की संस्तुतियां कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया:-***

1. **प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, अकादमिक, - अध्यक्ष**
2. **प्रोफेसर दीक्षा कपूर, SOCE,**
   **इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली - सदस्य**
3. **श्री खेमराज भट्ट, कुलसचिव - सदस्य सचिय**

**प्रस्ताव संख्या 45.06- विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अध्याय पांच परिनियम 13(7) में स्थापित मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत संस्कृत एवं अंग्रेजी विभाग का नाम परिवर्तित किए जाने के संबंध में विद्या परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 21.02.2026 की संस्तुतियों का अनुमोदन।**

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय पांच परिनियम 13(7) में मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत संस्कृत विभाग का नाम **'संस्कृत एवं प्राकृत भाषाएं विभाग'** तथा अंग्रेजी विभाग का नाम **'अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विभाग'** है। इस संबंध में समन्वयक, संस्कृत एवं अंग्रेजी विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि-व्याकरणिक दृष्टि से संस्कृत विभाग का नाम **'संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग'** एवं अंग्रेजी विभाग का नाम **'अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग'** होना चाहिए। **'संस्कृत एवं प्राकृत भाषाएं विभाग'** का नाम **'संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग'** तथा **'अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विभाग'** का नाम परिवर्तित कर **'अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग'** किए जाने हेतु एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 21 फरवरी, 2026 में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सहमति प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्राविधानित व्यवस्थानुसार प्रस्ताव कार्य परिषद के माध्यम से माननीय कुलाधिपति जी की स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय पारित किया गया। तद्क्रम में विद्या परिषद की संस्तुतियां माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई है।

***निर्णय:-*** ***प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्य परिषद द्वारा 'संस्कृत एवं प्राकृत भाषाएं विभाग' का नाम 'संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग' तथा 'अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विभाग' का नाम परिवर्तित कर 'अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग' किए जाने हेतु विद्या परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 21 फरवरी,2026 की संस्तुतियों पर यथावत अनुमोदन प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रस्ताव माननीय कुलाधिपति जी की स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने पर सहमति प्रदान की गई।***

**प्रस्ताव संख्या 45.07- विश्वविद्यालय में अल्पकालिक/अस्थाई आधार पर नियोजित असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.), प्रशासनिक परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता तथा कैमरामैन व वीडियो एडिटर के नियोजन के संबंध में सूचना।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पर्याप्त शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों का सृजन न होने के कारण शैक्षिक/तकनीकी/प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-तीन (धारा-11(1)) परिनियम 4(19) के अधीन प्रथम अध्यादेश के अध्याय-8 में वर्णित व्यवस्थानुसार कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण संचालन की आवश्यकता हेतु समय-समय पर अल्पकालिक नियुक्ति जो एक बार में छः माह से अनधिक अवधि के लिए हो, किए जाने का प्राविधान है। तदनुसार समय-समय पर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) प्रशासनिक परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता तथा कैमरामैन व वीडियो एडिटर का नियोजन किया जाता रहा है।

असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.), प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं की छः माह की सेवा अवधि **दिनांक 31 दिसम्बर, 2025** को पूर्ण होने के फलस्वरूप असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.) के नियोजन हेतु दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 से दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 तक आयोजित इंटरैक्शन(साक्षात्कार) में गठित समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में **दिनांक 02 जनवरी, 2026 से दिनांक 30 जून, 2026** (छः माह) तक विभिन्न कार्यक्रमों/विषयों में **कुल 114**



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) तथा व्यवसायिक कार्यक्रमों हेतु 01 प्रशिक्षक का नियोजन किया गया है। साथ ही प्रशासनिक तथा तकनीकी परामर्शदाताओं की विभागाध्यक्षों से प्राप्त कार्य मूल्यांकन आख्या में दी गई संस्तुतियों पर माननीय कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में 05 प्रशासनिक एवं 02 तकनीकी परामर्शदाताओं को छः माह की अवधि के लिए **दिनांक 02 जनवरी, 2026 से दिनांक 30 जून, 2026** तक नियोजित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त कैमरामैन एवं वीडियो एडिटर की छः माह की सेवा अवधि **दिनांक 28 फरवरी, 2026** को पूर्ण होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश के अध्याय-आठ(परिनियम 4(19)) के अधीन माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त **दिनांक 06 मार्च, 2026 से दिनांक 31 अगस्त, 2026** तक (छः माह) के लिए नियोजित किया गया है। तदक्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

***निर्णयः-*** ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.) के नियोजन हेतु आयोजित इंटरैक्शन(साक्षात्कार) हेतु गठित समिति द्वारा की गई संस्तुतियों, प्रशासनिक तथा तकनीकी परामर्शदाताओं की विभागाध्यक्षों से प्राप्त कार्य मूल्यांकन आख्या में दी गई संस्तुतियों एवं कैमरामैन एवं वीडियो एडिटर के नियोजन हेतु विभाग/निदेशालय की संस्तुति पर विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश के अधीन कुलपति जी की स्वीकृति पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 45.08- विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को रविवार या अवकाश के दिन कार्य पर बुलाए जाने के सापेक्ष प्रतिकर अवकाश के संबंध में कार्य परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 21.11.2025 में पारित निर्णय में आंशिक संशोधन किए जाने पर विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि कार्य परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2025 में प्रस्ताव संख्या- 44.10 पर विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को रविवार या अवकाश के दिन कार्य पर बुलाए जाने के सापेक्ष प्रतिकर अवकाश अनुमन्य किए जाने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्य परिषद द्वारा प्रतिकर अवकाश की व्यवस्था को पूर्व की भांति समस्त शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर यथावत लागू किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रतिकर अवकाश के संबंध में पारित निर्णय के बिन्दु संख्या- 7 जिस पर परिषद द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया हैः-

7. **प्रतिकर अवकाश अनुमन्य किए जाने की समय सीमा पूरे सत्र तक रहेगी जिस हेतु (जुलाई से जून) विभागों में एक पंजिका अनिवार्य रूप से निर्मित की जाय जिसमें प्रतिकर अवकाश का समस्त पूर्ण विवरण अंकित किया जाए।**



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय में छः माह की अनधिक अवधि हेतु अल्पकालिक व्यवस्थान्तर्गत नियोजित कार्मिकों हेतु प्रतिकर अवकाश के संबंध में पारित प्रस्ताव के बिन्दु संख्या-7 में प्रतिकर अवकाश की समय सीमा पूरे सत्र (जुलाई से जून) लागू नहीं की जा सकती है। अतएव प्रतिकर अवकाश के संबंध में उक्तानुसार पारित प्रस्ताव के बिन्दु संख्या-7 में निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। तद्क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है:-

7. **प्रतिकर अवकाश अनुमन्य किए जाने की समय सीमा पूरे सत्र (जुलाई से जून) तक होगी। अल्पकालिक/अस्थायी रूप से नियोजित कार्मिकों को प्रतिकर अवकाश केवल नियोजन अवधि तक ही अनुमन्य होगा। इस हेतु समस्त विभागों में एक पंजिका अनिवार्य रूप से निर्मित की जाय जिसमें प्रतिकर अवकाश का पूर्ण विवरण अंकित किया जाए।**

***निर्णय:-*** ***कार्य परिषद द्वारा परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2025 में प्रतिकर अवकाश के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या-44.10 के बिंदु संख्या-7 के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव में प्रस्तावित संशोधन पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 45.09- उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति पद हेतु आयु सीमा निर्धारित किए जाने हेतु सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक-369229/XXIV-C-1/2026-ई-95787/01 (39)2025, दिनांक 10 फरवरी, 2026 के संबंध में।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा पत्रांक-369229/XXIV-C-1/2026-ई-95787/01 (39)2025, दिनांक 10 फरवरी, 2026 के माध्यम से उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति पद हेतु आयु सीमा निर्धारित किए जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति पद हेतु आवेदन करने की आयु सीमा 65 वर्ष एवं कुलपति का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा 68 वर्ष की अधिवर्षता आयु तक, जो भी पहले हो तक किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तद्क्रम में सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा प्रेषित पत्र- 369229/XXIV-C-1/2026-ई-95787/01 (39)2025, दिनांक 10 फरवरी, 2026 माननीय कार्य परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

***निर्णय:-*** ***सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा प्रेषित पत्र-369229/XXIV-C- 1/2026-ई-95787/01 (39)2025, दिनांक 10 फरवरी, 2026 से कार्य परिषद अवगत हुई।***

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

**प्रस्ताव संख्या 45.10- विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 21.02.2026 की संस्तुतियों का अनुमोदन।**

*निर्णयः-* *कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 21 फरवरी, 2026 की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।*

**प्रस्ताव संख्या 45.11- विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 21वीं बैठक दिनांक 28.02.2026 की संस्तुतियों का अनुमोदन।**

*कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 28 फरवरी, 2026 को सम्पन्न 21वीं बैठक की संस्तुतियों का अवलोकन कर प्रस्ताव संख्या 21.13- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के अन्तर्गत 21.13.03 पर विश्वविद्यालय में अल्पकालिक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मानदेय का पुनरीक्षण कर निर्धारण हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन करते हुए वित्त समिति की 21वीं बैठक की शेष संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया:-*

1. *प्रोफेसर योजना रावत, डायरेक्टर रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन लर्निंग, पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़*
2. *प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डेय, निदेशक, सीका*
3. *प्रोफेसर रेनू प्रकाश, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा*
4. *कुलसचिव*
5. *वित्त नियंत्रक*

**प्रस्ताव संख्या 45.12- कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापकों को अकादमिक स्तर 10 के स्थान पर अर्हता तिथि से वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11 एवं वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11 से अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य कराये जाने हेतु गठित वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति की संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छः 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 28(1) में कैरियर अभिवर्धन योजना हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता एवं समयावधि को लागू किए जाने का उल्लेख है। इस व्यवस्था को लागू किए जाने हेतु परिनियम 29(1) में वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति के गठन का भी उल्लेख है।



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018 जिसे उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1424/XXIV(4)/2019-01(28)/2016, दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा अंगीकृत किया गया है, में वर्णित व्यवस्थानुसार कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापकों को अकादमिक स्तर 10 के स्थान पर अर्हता तिथि से वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11 एवं वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11 से अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य किए जाने हेतु गठित वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति की बैठकें विभिन्न तिथियों में विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुई। समिति की संस्तुतियॉ सील बन्द लिफाफों में माननीय कार्य परिषद के सम्मुख खोले जाने हेतु प्रस्तुत किए गए हैं।

**निर्णय:-** ***कार्य परिषद के सम्मुख सील बन्द लिफाफे खोले गए, तद्क्रम में परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्न सहायक प्राध्यापकों को पात्रता की तिथि से वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11 एवं वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य किए जाने हेतु गठित वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति की संस्तुतियों पर निम्नानुसार सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया:-***

**वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11 अनुमन्य किए गए सहायक प्राध्यापक:-**

| क्रम संख्या | संवीक्षा समिति की बैठक की तिथि | नाम एवं पदनाम | विषय | पात्रता की तिथि जिससे वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11 अनुमन्य हुआ है। |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.12.2025 | डॉ0 राजेन्द्र, सहायक प्राध्यापक | हिन्दी | 11 फरवरी, 2025 |
| 2. | 22.12.2025 | डॉ0 विशाल कुमार शर्मा, सहायक प्राध्यापक | भौतिक विज्ञान | 11 फरवरी, 2025 |
| 3. | 22.12.2025 | डॉ0 गौरी, सहायक प्राध्यापक | भौतिक विज्ञान | 15 फरवरी,2025 |
| 4. | 23.12.2025 | डॉ0 घनश्याम जोशी, सहायक प्राध्यापक | लोक प्रशासन | 11 फरवरी, 2025 |
| 5. | 26.12.2025 | डॉ0 दीपांकुर जोशी, सहायक प्राध्यापक | विधि | 11 फरवरी, 2025 |
| 6. | 26.12.2025 | डॉ0 दीपिका वर्मा, सहायक प्राध्यापक | गृहविज्ञान | 12 फरवरी, 2025 |



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | 26.12.2025 | डॉ0 दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक | योग | 12 फरवरी, 2025 |
| 8. | 27.12.2025 | डॉ0 सरस्वती नन्दन ओझा, सहायक प्राध्यापक | वनस्पति विज्ञान | 11 फरवरी, 2025 |
| 9. | 27.12.2025 | डॉ0 देवकी सिरोला, सहायक प्राध्यापक | शिक्षाशास्त्र | 12 फरवरी, 2025 |
| 10. | 27.12.2025 | डॉ0 सिद्धार्थ कुमार पोखरियाल, सहायक प्राध्यापक | बी0एड0 विशिष्ट शिक्षा | 11 फरवरी, 2026 |
| 11. | 29.12.2025 | डॉ0 ज्योति रानी, सहायक प्राध्यापक | गणित | 11 फरवरी, 2025 |
| 12. | 29.12.2025 | डॉ0 विनोद कुमार, सहायक प्राध्यापक | रसायन विज्ञान | 11 फरवरी, 2025 |
| 13. | 29.12.2025 | डॉ0 दीप प्रकाश, सहायक प्राध्यापक | रसायन विज्ञान | 26 जुलाई, 2025 |

**वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य किए गए सहायक प्राध्यापक:-**

| क्रम संख्या | संवीक्षा समिति की बैठक की तिथि | नाम एवं पदनाम | विषय | पात्रता की तिथि जिससे वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य हुआ है। |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.12.2025 | डॉ0 नन्दन कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक | ज्योतिष | 03 दिसम्बर, 2025 |
| 2. | 23.12.2025 | डॉ0 शालिनी चौधरी, सहायक प्राध्यापक | अर्थशास्त्र | 09 दिसम्बर, 2025 |
| 3. | 23.12.2025 | डॉ0 सीता, सहायक प्राध्यापक | मनोविज्ञान | 07 दिसम्बर, 2025 |
| 4. | 27.12.2025 | डॉ0 ममता कुमारी, सहायक प्राध्यापक | शिक्षाशास्त्र | 01 अक्टूबर, 2024 |
| 5. | 29.12.2025 | डॉ0 शालिनी सिंह, सहायक प्राध्यापक | रसायन विज्ञान | 07 दिसम्बर, 2025 |

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

**प्रस्ताव संख्या 45.13- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।**

**प्रस्ताव संख्या 45.13.01- विश्वविद्यालय में स्थापित महिला अध्ययन केन्द्र के अन्तर्गत महिला मुद्दों पर आधारित शोध पत्रिका 'विदुषी' के प्रकाशन हेतु निर्मित संशोधित नियमावली पर विद्या परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 21.02.2026 की संस्तुतियों का अनुमोदन।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में स्थापित महिला अध्ययन केन्द्र के अन्तर्गत महिला मुद्दों पर आधारित शोध पत्रिका 'विदुषी' के प्रकाशन हेतु निर्मित संशोधित नियमावली को विद्या परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 21 फरवरी, 2026 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर विद्या परिषद द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:-

> **"विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न शोध पत्रिका 'विदुषी' की संशोधित प्रति का अवलोकन किया गया। विदुषी शोध पत्रिका के प्रस्तावित संपादक मण्डल में कुछ अन्य विषय-विशेषज्ञों के नाम सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत परिषद द्वारा प्रोफेसर रेनू प्रकाश, संयोजन, महिला अध्ययन केन्द्र को निर्देशित किया गया कि वे विभिन्न विषय-विशेषज्ञों के नाम माननीय कुलपति/अध्यक्ष, विद्या परिषद को प्रस्तुत करेंगीं। शोध पत्रिका 'विदुषी' के संपादक मण्डल में विषय-विशेषज्ञों के नाम सम्मिलित करने एवं हटाने हेतु परिषद द्वारा माननीय कुलपति/अध्यक्ष, विद्या परिषद को अधिकृत करते हुए महिला मुद्दों पर आधारित शोध पत्रिका 'विदुषी' के प्रकाशन पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।"**

विद्या परिषद के निर्देशानुसार प्रोफेसर रेनू प्रकाश, संयोजक, महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा संपादक मण्डल में कुछ अन्य विषय-विशेषज्ञों के नाम सम्मिलित कर माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत किए गए हैं, जिस पर माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। तद्क्रम में शोध पत्रिका 'विदुषी' की संशोधित प्रति माननीय कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

***निर्णयः-*** ***विद्या परिषद की संस्तुतियों के क्रम में शोध पत्रिका 'विदुषी' के संपादक मण्डल में कुलपति जी द्वारा कुछ अन्य विषय-विशेषज्ञों के नाम सम्मिलित किए जाने पर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 45.13.02- डॉ0 दिनेश कुमार, सह-आचार्य, शिक्षाशास्त्र को पूर्व में स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश/धारणाधिकार की अवधि को आगामी 01 वर्ष के लिए विस्तारित किये जाने के संबंध में विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 दिनेश कुमार, सह-प्राध्यापक, शिक्षाशात्र का इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) में प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र के पद पर चयन होने के फलस्वरूप माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय की



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

परिनियमावली के अध्याय छ: परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार दिनांक 13.02.2024 से दिनांक 12.02.2026 तक कुल 02 वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश एवं धारणाधिकार कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया है। डॉ0 दिनेश कुमार द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2026 को प्रेषित पत्र के माध्यम से पूर्व में स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश को धारणाधिकार सहित दिनांक 13.02.2026 से दिनांक 12.02.2027 तक कुल 01 वर्ष विस्तारित किए जाने का अनुरोध किया गया है। संबंधित के अनुरोध पत्र के क्रम में माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) से डॉ0 दिनेश कुमार की उक्त संस्थान में सेवा प्रास्थिति (स्थायी/अस्थायी) से अवगत कराए जाने हेतु संबंधित संस्था को विश्वविद्यालय द्वारा पत्र प्रेषित कर पृच्छा की गई। तद्क्रम में डॉ0 दिनेश कुमार की सेवा प्रास्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 04 फरवरी, 2026 के माध्यम से की गई पृच्छा के क्रम में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - "प्रोफेसर दिनेश कुमार की सेवा के स्थायीकरण के प्रकरण को इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक की कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।" तद्क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

<u>निर्णय:-</u> ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार डॉ0 दिनेश कुमार को पूर्व में स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश को धारणाधिकार सहित दिनांक 13.02.2026 से दिनांक 12.02.2027 तक कुल 01 वर्ष या डॉ0 दिनेश कुमार के इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंट (मध्य प्रदेश) में प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र के पद पर स्थायीकरण होने, जो भी पहले हो, तक विस्तारित किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

**प्रस्ताव संख्या 45.13.03- विश्वविद्यालय द्वारा गांव गोद लिए जाने के संबंध में गठित समिति की दिनांक 11.03.2026 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों का अनुमोदन।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के गांवों को गोद लिए जाने के संबंध में माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 11 मार्च, 2026 को ऑनलाइन माध्यम से बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिले वार प्रत्येक क्षेत्र से प्राप्त गांवों के आधारभूत आंकड़ें तथा अन्य पहलुओं पर चर्चा उपरान्त उत्तराखण्ड के 08 जिलों में से प्रत्येक जिले से एक गांव कुल 08 गांव गोद लिए जाने की संस्तुति की गई। तद्क्रम में बैठक की संस्तुतियां माननीय कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

<u>निर्णय:-</u> ***विश्वविद्यालय द्वारा गांव गोद लिए जाने के संबंध में गठित समिति की दिनांक 11.03.2026 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

**प्रस्ताव संख्या 45.13.04- जनपद स्तर पर राज्य सरकार द्वारा विशेष शैक्षणिक केन्द्र स्थापित किए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15.08.2025 को की गई घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15.08.2025 को जनपद देहरादून में की गई राज्य स्तरीय घोषणा- **''राज्य में दूरस्थ व रोजगार मूलक उच्च शिक्षा के समग्र विकास और प्रचार-प्रसार के लिए जनपद स्तर पर राज्य सरकार द्वारा विशेष शैक्षणिक केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिनका संचालन व समन्वयन उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा''** की घोषणा की गई है। तद्क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के क्रम में जनपद स्तर पर राज्य सरकार द्वारा विशेष शैक्षणिक केन्द्र स्थापित किए जाने एवं संचालन व समन्वयन उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने के संबंध में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में दिनांक 17 मार्च, 2026 को सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पदों के संबंध में मांगी गई सूचना के अन्तर्गत प्रस्तावित सृजित किए जाने वाले पदों का विवरण एवं व्ययभार भी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

**निर्णयः-** ***जनपद स्तर पर राज्य सरकार द्वारा विशेष शैक्षणिक केन्द्र स्थापित किए जाने एवं संचालन व समन्वयन उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने की घोषणा हेतु सर्वप्रथम सदन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तद्क्रम में उक्त विशेष शैक्षणिक केन्द्रों को विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एवं संचालित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रस्तावित सृजित किए जाने वाले पदों का विवरण एवं व्ययभार दिनांक 17 मार्च, 2026 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत किए जाने पर सहमति प्रदान की गई।***

**प्रस्ताव संख्या 45.13.05- विश्वविद्यालय में गठित आवास आवंटन समिति में परिवर्तन किए जाने की सूचना।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्य परिषद को अवगत कराया गया है कि पूर्व में गठित आवास आवंटन समिति में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है:-

1. कुलपति अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि - अध्यक्ष
2. विद्याशाखा निदेशक- एक - सदस्य
3. सहायक कुलसचिव (अधिष्ठान) - सदस्य
4. सहायक कुलसचिव, अनुरक्षण - सदस्य
5. आवंटित आवास से संबंधित 01 कार्मिक - सदस्य

उक्त आवास आवंटन समिति की आवास आवंटन तथा देखरेख के अतिरिक्त आवास से संबंधित कार्यों की भी पूर्ण जिम्मेदारी होगी। पूर्व में आवंटित आवासीय भवनों के विद्युत आपूर्ति का बिल संबंधित कार्मिकों से विश्वविद्यालय के



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

खाते में जमा नहीं कराया गया। साथ ही परिषद को यह भी अवगत कराया गया कि कुलपति जी द्वारा गठित आवास आवंटन समिति को वित्त नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी में 'अवैध' कहा गया है।

<u>निर्णय:-</u> ***विश्वविद्यालय में गठित आवास आवंटन समिति में परिवर्तन किए जाने पर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया। पूर्व में विद्युत आपूर्ति का बिल संबंधित कार्मिकों से विश्वविद्यालय के खाते में जमा नहीं कराए जाने को वित्तीय अनियमितता मानते हुए वित्त नियंत्रक और संबंधित अधिकारियों को एक नोटिस जारी किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही वित्त नियंत्रक द्वारा, कुलपति जी द्वारा गठित आवास आवंटन समिति को अवैध बताते हुए टिप्पणी करना, अनुशासन हीनता की श्रेणी में मानते हुए निर्देश दिए कि, भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाय। इस हेतु वित्त नियंत्रक को एक स्पष्टीकरण पत्र भी निर्गत किया जाय।***

**प्रस्ताव संख्या 45.13.06- विज्ञापन संख्या-UOU/Add/R3/001/2025, दिनांक 23.04.2025 द्वारा विज्ञापित शैक्षिक पदों को पुर्नविज्ञापित किए जाने पर विचार/अनुमोदन।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विज्ञापन संख्या-UOU/Add/R3/001/2025, दिनांक 23.04.2025 के माध्यम से शैक्षिक वर्ग में रिक्त कुल 13 (सह-प्राध्यापक-02 पद, सहायक प्राध्यापक- 11 पद) पदों हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। उक्त विज्ञप्ति को प्रकाशित हुए छ: माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अत: वर्तमान में रिक्त प्राध्यापक के 10 पद एवं उक्त विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के पश्चात रिक्त हुए सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान के 01 पद को सम्मिलित करते हुए पुर्नविज्ञापन किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को केवल अपने अद्यतन विवरण/दस्तावेज यदि कोई हों, तो प्रस्तुत करने होंगे। तद्क्रम में प्राध्यापक के 10 पद एवं सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान के 01 पद को सम्मिलित करते हुए विज्ञापन संख्या-UOU/Add/R3/001/2025, दिनांक 23.04.2025 द्वारा विज्ञापित शैक्षिक पदों को *पुनर्विज्ञाप्ति* किए जाने का प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

<u>निर्णय:-</u> ***कार्य परिषद द्वारा प्राध्यापक के रिक्त 10 पदों एवं सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान के 01 पद को सम्मिलित करते हुए विज्ञापन संख्या-UOU/Add/R3/001/2025, दिनांक 23.04.2025 द्वारा विज्ञापित शैक्षिक पदों को पुनर्विज्ञाप्ति किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)



कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

**प्रस्ताव संख्या 45.13.07- व्यक्तिगत छात्रवृति (Individual Sponsorship) योजना हेतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पहचान किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश पर विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि व्यक्तिगत छात्रवृत्ति (Individual Sponsorship) के प्रावधान का क्रियान्वयन निम्न प्रकार से किया जाएगा:-

- व्यक्तिगत छात्रवृत्ति का प्रावधान किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा उन अभ्यर्थियों/शिक्षार्थियों को प्रदान किया जाएगा, जो Uttarakhand Open University के किसी भी अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।
- जो व्यक्ति व्यक्तिगत छात्रवृत्ति प्रदान करने के इच्छुक हैं, वे इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदाता (Sponsor) के रूप में पंजीकरण कराने हेतु विश्वविद्यालय में ................................................... से संपर्क कर सकते हैं।
- विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों/शिक्षार्थियों की पहचान या व्यक्तिगत छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु किसी भी उम्मीदवार के चयन अथवा संक्षिप्त सूची (Shortlisting) की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाएगा।
- किसी कार्यक्रम की कुल शुल्क राशि (जिसमें सभी सेमेस्टर/वर्ष की सभी प्रकार की फीस शामिल होगी) छात्रवृत्ति प्रदाता द्वारा अग्रिम रूप से विश्वविद्यालय के बैंक खाते में जमा की जाएगी। यह राशि संबंधित छात्र के **SIS** में ई-मनी (e-money) के रूप में जोड़ी जाएगी, जिससे छात्र द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर में नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्धारित शुल्क सेमेस्टर-वार काटा जाएगा। कुल शुल्क की गणना उस संपूर्ण राशि के रूप में की जाएगी जो किसी कार्यक्रम को एक सतत प्रयास (continuous attempt) में पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। इसमें बैक/इम्प्रूवमेंट परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी अन्य अतिरिक्त सुविधा हेतु देय शुल्क शामिल नहीं होगा।
- यह छात्रवृत्ति योजना **अहस्तांतरणीय (Non-transferable)** होगी। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के **मॉडल LSC** में ही अपना नामांकन करना होगा तथा उसे अपना प्रवेश निरस्त करने, जमा की गई फीस वापस लेने या LSC बदलने की अनुमति नहीं होगी।

**1. आय आधारित मापदंड (मुख्य आधार)**

- सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार/एस.डी.एम.) द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

- परिवार की वार्षिक आय ₹2,50,000 (या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीमा) से अधिक न हो।

- आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना न हो।

**2. सरकारी आर्थिक श्रेणियां (प्राथमिकता हेतु)**

- बी.पी.एल. (Below Poverty Line) कार्ड धारक।

- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड धारक (सर्वोच्च प्राथमिकता)।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत प्राथमिक परिवार (PHH)।



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

**3. सामाजिक रूप से संवेदनशील श्रेणियां**

- अनाथ छात्र (मृत्यु प्रमाण पत्र सहित)।
- एकल अभिभावक (विधवा/तलाकशुदा)।
- दिहाड़ी मजदूर परिवार।
- दूरस्थ/पर्वतीय/आपदा प्रभावित क्षेत्र के छात्र।
- दिव्यांग छात्र (प्रमाण पत्र सहित)।

**4. अभिभावक की रोजगार स्थिति**

- बेरोजगार अभिभावक।
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत।
- कृषि मजदूर या सीमांत किसान।

**5. शैक्षणिक प्रतिबद्धता**

- अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 45–50% अंक।
- नियमित असाइनमेंट जमा करना।
- अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो।

**6. स्वघोषणा एवं सत्यापन**

- अन्य छात्रवृत्ति न लेने का शपथ पत्र।
- प्रस्तुत जानकारी सत्य होने की घोषणा।

**7. प्राथमिकता निर्धारण हेतु अंक प्रणाली**

- अंत्योदय कार्ड – 20 अंक
- बीपीएल कार्ड – 15 अंक
- वार्षिक आय ₹ 1.5 लाख से कम – 15 अंक
- अनाथ/एकल अभिभावक – 10 अंक
- दिव्यांग – 10 अंक
- दूरस्थ/पर्वतीय क्षेत्र – 10 अंक
- छात्रा (महिला) – 5 अंक
- शैक्षणिक योग्यता – 15 अंक

**8. अनिवार्य दस्तावेज**

- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड (बीपीएल/अंत्योदय, यदि लागू हो)
- आधार कार्ड
- प्रवेश प्रमाण पत्र



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

**निर्णय:-** *विश्वविद्यालय के इस प्रयास की कार्य परिषद द्वारा सराहना करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। तद्क्रम में परिषद द्वारा व्यक्तिगत छात्रवृति (Individual Sponsorship) योजना हेतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पहचान किए जाने के संबंध में प्रस्तुत दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार कर निदेशक तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों की समिति द्वारा आवश्यक संशोधन कर, इस प्रस्ताव को पुन: विश्वविद्यालय की विद्या परिषद एवं वित्त समिति के माध्यम से कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।*

बैठक के अन्त में माननीय कुलपति जी/अध्यक्ष, कार्य परिषद द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि- कार्य परिषद के माननीय सदस्य, सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत जी का दूरभाष पर सुझाव प्राप्त हुआ है कि कार्य परिषद की 45वीं बैठक की तिथि परिवर्तित की जाय। चूंकि बैठक की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थीं और समस्त सदस्यों को दिनांक 05 फरवरी, 2026 को ई-मेल के माध्यम से आमंत्रण पत्र प्रेषित किए जा चुके थे। उक्त आमंत्रण पत्र के क्रम में बैठक में प्रतिभाग हेतु अधिकांश सदस्यों की सहमति भी प्राप्त हो गई थी तथा दिनांक 06 मार्च, 2026 को माननीय कुलाधिपति जी, सचिव, उच्च शिक्षा एवं कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को कार्यसूची बिंदु भी प्रेषित किए जा चुके थे, इस कारण अन्तिम समय में कार्य परिषद की 45वीं बैठक की तिथि में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं था।

**उक्त के संबंध में कार्य परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि, परिषद की आयोजित होने वाली आगामी बैठकों हेतु कुलसचिव द्वारा समस्त कार्यसूची बिंदु निर्धारित समय पर सदस्यों को प्रेषित किए जायं।**

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्य परिषद के सदस्य सचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में कार्य परिषद के समस्त माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर, बैठक सम्पन्न हुई।

**कुलसचिव/सदस्य सचिव, कार्य परिषद**
कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)
13/3/2026

**कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद**
13/3/26
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)